न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 255/2018

अनवान :

1. विक्रमसिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. भागादेवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मीनादेवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 19-2-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दू परिवार है तथा फरीकेन की संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि गांव भाडी के खाता सं0 86/81 के खसरा नं0 77 की 0.342 है0 खसरा सं0 270 की 3.694 है0, खसरा नं0 272 की 2.049 है0, खसरा नं0 329 की 1.531 है0, खसरा नं 350 की 2.112 है0 खसरा नं0 541 की 4.200 है0, खसरा नं0 628 की 6.578 है0 खसरा सं0 678 की 10.5750 है0 खसरा सं0 679 की 6.629 है0 कुल 37.710 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जि़समें प्रतिवादी भगवानाराम 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के खाता सं0 163/213 में खसरा सं0 247 की 4.048 है0, खातेदारी कृषि भूमि स्थित ह जो तन्हा भगवानाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है एवं संयुक्त परिवार की जद्‌दी जायदाद कृषि भूमि है जिसमें वादी सं0 1 का भी जन्म से हिस्सा निहित है। वादी सं0 2, प्रतिवादी सं0 1 की धर्मपत्नी है जिसका भी उक्त कृषि भूमि में हक व हिस्सा है।

वाद कृषि भूमि प्रतिवादी भगवानाराम के नाम परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है। कृषि भूमि तन्हा भगवानाराम के नाम दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादीया सं0 2 मीनादेवी ने अपना हक व हिस्सा वादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है, इसलिए कुल कृषि भूमि में वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

विक्रमसिंह 1/2 हिस्से का वादिया, भागादेवी 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी भगवानाराम 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होने से व कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा होने से इन्कारी नहीं है। वाद कृषि भूमि में वादी विक्रमसिह 1/2 हिस्सा, वादीया भागादेवी 1/4 हिस्सा, एवं प्रतिवादी भगवानाराम 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई एतराज व आपति नहीं है।

साक्ष्य वादीगण में वादी विक्रमसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम भाडी प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 86/81 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 163/213 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 5 ता 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई व संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी सं0 1 का भी जन्म से हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण अपने दावा में वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना व संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम भाडी सम्वत् 2019 प्रदर्श 5 ता 11 प्रदर्शित करवाये है जिनमें खसरा सं0 77, 270, 272, 329, 350, 541, 628, 678, 679 वादीगण के दादालाई चेतराम वल्द चन्द्रु व परदादा चन्द्रु वल्द बेगा के नाम दर्ज है जिससे उक्त खसरों में दर्ज कृषि भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इसके अलावा रोही मौजा भाडी के खाता सं0 163/213 में खसरा सं0 247 की 4.048 है0 खातेदारी कृषि भूमि बाबत वादीगण ने कोई दादालाई का रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे उक्त कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित नहीं है। अपने दावा में वादीगण ने प्रतिवादीया सं0 2 द्वारा वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी विक्रमसिंह के पक्ष में त्याग देना जाहिर किया है। प्रतिवादीया सं0 2 ने जबाब दावा वादीगण के उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं करते हुए स्वीकार किया है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में भगवारानाम के वारिसान में पत्नी भागादेवी, एक पुत्र विक्रम सिंह, एक पुत्री मीना देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अतः वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भाडी के खाता सं0 86/81 के खसरा नं0 77 की 0.342 है0 खसरा सं0 270 की 3.694 है0, खसरा नं0 272 की 2.049 है0, खसरा नं0 329 की 1.531 है0, खसरा नं 350 की 2.112 है0 खसरा नं0 541 की 4.200 है0, खसरा नं0 628 की 6.578 है0 खसरा सं0 678 की 10.5750 है0 खसरा सं0 679 की 6.629 है0 कुल 37.710 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी भगवानाराम 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी सं0 1 विक्रमसिंह 1/2 हिस्सा, वादीया सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनों संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी विक्रमसिंह के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त करने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी विक्रमसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व वादीया सं0 2 भागादेवी एवं प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 163/213 में खसरा सं0 247 की 4.048 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 255/2018

अनवान :

1. विक्रमसिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. भागादेवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मीनादेवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी गांव भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भाडी के खाता सं0 86/81 के खसरा नं0 77 की 0.342 है0 खसरा सं0 270 की 3.694 है0, खसरा नं0 272 की 2.049 है0, खसरा नं0 329 की 1.531 है0, खसरा नं 350 की 2.112 है0 खसरा नं0 541 की 4.200 है0, खसरा नं0 628 की 6.578 है0 खसरा सं0 678 की 10.5750 है0 खसरा सं0 679 की 6.629 है0 कुल 37.710 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी भगवानाराम 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी सं0 1 विक्रमसिंह 1/2 हिस्सा, वादीया सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनों संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी विक्रमसिंह के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त करने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी विक्रमसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व वादीया सं0 2 भागादेवी एवं प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 163/213 में खसरा सं0 247 की 4.048 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 11:11:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: